।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

39

प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार पोकरण		1. गणेशाराम पुत्र कानाराम 2. मदनराम पुत्र कानाराम 3. इन्द्रो पत्नी कानाराम सर्वे जाति नाई निवासी ओढाणिया तहसील पोकरण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970

उपस्थिति :

1. पैरोकार राज प्रार्थी
2. श्री राणीदान सेवक अप्रार्थीकण संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक : 11.11.2016**

तहसीलदार पोकरण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर श्री कानाराम पुत्र श्री सिमरथाराम नाई निवासी ओढ़ाणिया के ग्राम ओढ़ाणिया खसरा नम्बर 44, रकबा 47.02 बीघा भूमि के आवंटन को खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया।

तहसीलदार पोकरण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में भूमि आवंटन आदेश को खारिज करने हेतु यह आधार लिखे है कि वक्त आवंटन कानाराम भूमिहीन व्यक्ति नहीं था, उसके स्वयं के नाम ग्राम ओढ़ाणिया के खसरा नम्बर 23 में 49.16 बीघा भूमि थी, जिसकी जमाबंदी की नकल संलग्न पेश की गई है। साथ में यह भी उल्लेख किया हे कि वर्तमान में कानाराम फौत हो चुका है, जिसके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

तहसीलदार पोकरण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि काबिल काश्त नहीं है और मौके पर कानाराम व कानाराम के वारिसान का कभी कब्जा या काश्त नहीं रहा है, उक्त भूमि आबादी के बीच आई हुई है और मौके पर भूमि की किस्म मगरा है।

इसके अलावा प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौके पर भूमि काबिल काश्त नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी पोकरण के आदेश दिनांक 20.11.1984 के द्वारा खसरा नम्बर 44, रकबा 47.02 बीघा भूमि के आवंटन एवं उक्त भूमि के भरे गए खातेदारी के नामान्तरण संख्या 165 को निरस्त उसके स्थान पर खसरा नम्बर 130, रकबा 47.02 बीघा भूमि पुरानी सीलिंग में परिवर्तन कर कानाराम की पत्नी श्रीमती इन्द्रोदेवी के नाम से नामान्तरण पुनः खोलकर कब्जा देने के आदेश दिए गए।

उपर्युक्त आधारों पर तहसीलदार पोकरण द्वारा कानाराम को सीलिंग भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत की नियम 14 (4) के तहत प्रकरण दर्ज कर आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु तलब किया गया एवं संबंधित रेकर्ड तलब किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 और 2 की ओर से वकील श्री राणीदान सेवक ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमती इन्द्रोदेवी पत्नी श्री कानाराम के नोटिस पर फौत होने की रिपोर्ट आई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य उल्लेख किए है कि कानाराम द्वारा राज्य सरकार की सीलिंग में अवाप्त भूमि के आवंटन हेतु अधिकृत अधिकारी पोकरण जिला जैसलमेर के समक्ष 75 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र पर संबंधित पटवारी द्वारा प्रार्थी के नाम 49 बीघा भूमि होने व कृषक होने की रिपोर्ट की थी, इस पर आवंटन कमेटी की बैठक दिनांक 29.10.1977 में कानाराम को गांव ओढ़ाणियां के खसरा नम्बर 44 में 47 बीघा 2 बिस्वा भूमि पुरानी सीलिंग में आवंटित किए जाने के आदेश कमेटी द्वारा दिए गए थे। कानाराम ने आवंटन कमेटी के आदेशानुसार उक्त सीलिंग की भूमि की तत्कालीन सीलिंग दर के अनुसार कीमत की राशि भी अदा की थी।

जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसके पश्चात् कानाराम को उक्त भूमि के खातेदारी के अधिकार नियमानुसार प्रदान किए गए। साथ में यह भी उल्लेख किया है कि कानूनन सीलिंग भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होने का भी उल्लेख किया, कानाराम व उसके वारिसान के नाम उक्त भूमि का नियमानुसार नामान्तरण प्रार्थी द्वारा ही स्वीकृत किया गया है।

जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि कानाराम को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा का मौके पर आवंटन के बाद कब्जा दिया गया, पूर्व में आवंटी कानाराम व उसके बाद कानाराम की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम आज तक निरन्तर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी में दर्ज है एवं राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि बारानी दर्ज है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त भूमि काबिल काश्त है तथा इस एरिया में वर्षा कम होती है इसलिए वर्षा के अनुसार काश्त होती है। अप्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा दिए आदेश दिनांक 20.11.1984 की कोई जानकारी नहीं है और न ही उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को आज तक प्राप्त ही हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, अन्य किसी ने मिलावटी व गलत कार्यवाही, अप्रार्थीगण की भूमि को हड़पने की गरज से की गई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होना बताया और यह भी उल्लेख किया है कि यदि ऐसा आदेश होता तो आज तक उक्त आदेश का क्रियान्वयन भी होता, जो नहीं होने से इस प्रकार तथ्य स्वीकार नहीं है। ऐसी सूरत में आवंटन आदेश कतई निरस्त योग्य नहीं होना बताया।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में विशेष आपत्तियाँ लिखकर यह उल्लेख किया है कि कानाराम को सीलिंग में अवाप्त भूमि का आवंटन 1977 में किया गया था, अतः उक्त आवंटन के संबंध में नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधान कानून लागू नहीं होने का उल्लेख कर यह प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होना बताया हैं इसके अलावा यह भी उल्लेख किया है कि उक्त आवंटन आदेश 1977 में किया गया था और कानाराम एवं उसके वारिसान अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी के अधिकार भी प्राप्त हो गए है, ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र के जरिए खातेदारी अधिकार निरस्त नहीं किए जा सकते है, साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि 1977 में किए गए आंवटन आदेश के 37 वर्ष बाद निरस्त करने की कार्यवाही गैरकानूनी एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, साथ में यह भी उल्लेख किया है कि अप्राथीगण गरीब एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति है, उनके ऊपर गाँव के प्रभावी व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी से मिलकर यह गलत एवं गैर कानूनी कार्यवाही प्रस्तुत करवाई गई है। वर्ष 1984 में किए गए तथाकथित आदेश उपखण्ड अधिकारी पोकरण के संबंध में 2014 में उक्त कार्यवाही करना भी यह प्रमाणित करता है कि अप्रार्थीगण से रंजिश रखने वाले व्यक्तियों ने गलत आधार पर अप्रार्थीगण को अकारण तंग एवं परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही करवाई गई है, जो निरस्त योग्य है। साथ में यह भी उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में गत काफी वर्षो से जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा पोकरण से किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया हुआ है तथा उक्त भूमि बैंक के पास अप्रार्थीगण की ओर से बंधक भी रखी हुई है।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार जैसलमेर एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं कानाराम को आवंटित भूमि की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी तहसीलदार पोकरण द्वारा कानाराम को दिनांक 29.10.1977 को आवंटित खसरा नम्बर 44 रकबा 47.02 बीघा ग्राम ओढ़ाणिया को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य आधार कानाराम के नाम पूर्व में खसरा नम्बर 23 में 49.16 बीघा भूमि होने एवं वक्त आवंटन कानाराम के भूमिहीन व्यक्ति नहीं होने का उल्लेख किया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.11.1984 के जरिए उक्त भूमि के नामान्तरण को निरस्त कर उसके स्थान पर खसरा नम्बर 130 रकबा 47.02 बीघा भूमि पुरानी सीलिंग में परिवर्तन कर कानाराम की पत्नी श्रीमती इन्द्रोदेवी के नाम नामान्तरण पुनः खोलकर कब्जा देने के आदेश के आधार पर पूर्व आवंटन खसरा नम्बर 44 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

वकील अप्रार्थीगण ने इस संबंध में अपनी बहस में निवेदन किया है कि कानाराम द्वारा अपने सीलिंग भूमि के आवंटन के प्रार्थना पत्र में किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है इसके अलावा कानाराम द्वारा जो आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें भी संबंधित पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि प्रार्थी के नाम 49 बीघा भूमि है एवं वह कृषक है। इसके अलावा कानूनन उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान इम्पोजिशन सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर के प्रावधानों के अन्तर्गत 150 एकड़ तक की भूमि सीलिंग नियमों के अन्तर्गत आवंटित की जा सकती है। पूर्व में कानाराम के पास 49.16 बीघा जमीन ही थी और उसके पश्चात् 47.02 बीघा भूमि सीलिंग नियमों के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई है जो सीलिंग सीमा से कम है, ऐसी सूरत में उक्त आवंटन नियमानुसार है और सीलिंग नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी पोकरण के आदेश दिनांक 20.11.1984 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि के स्थान पर अन्य खसरा नम्बर 130 रकबा 47.02 बीघा भूमि पुरानी सीलिंग में परिवर्तन करने के आदेश के संबंध में वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि इस संबंध में उक्त आदेश कानूनन सहीं नही है और उपखण्ड अधिकारी पोकरण को उक्त आदेश देने के कोई अधिकार नहीं थे। दिनांक 20.11.1984 के आदेश की आज तक कोई पालना भी नहीं हुई है, इस संबंध में पत्रावली पर पटवारी खेतोलाई की रिपोर्ट का हवाला देकर यह भी निवेदन किया गया है कि कानाराम को आवंटित भूमि दिनांक 29.10.1977 ग्राम ओढ़ाणिया के खसरा नम्बर 44 रकबा 47.02 बीघा भूमि का कब्जा तत्कालीन पटवारी द्वारा सुपुर्द कर दिया गया था तथा आवंटी के हक में नामान्तरण संख्या 165 गैरखातेदारी का भरा जा चुका है और वर्तमान में नामान्तरण संख्या 192 के द्वारा जमाबंदी खाता

संख्या 121 ग्राम ओढ़ाणिया पर बहैसियत खातेदार दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि एक प्रार्थनापत्र जो तहसीलदार पोकरण के नाम भूमि के परिवर्तन करने के संबंध में तथाकथित रूप से दी गई है वह कानाराम द्वारा देना बताया है परन्तु उसके नीचे अंगुष्ठ निशान गणेश का बताया गया है जबकि कानाराम की मृत्यु पूर्व में हो गई थी। पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट में खसरा नम्बर 28 में भूमि शेष नहीं होने का उल्लेख भी किया गया है। इस प्रकार यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी तहसीलदार पोकरण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं गैरकानूनी होने से निरस्त योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा आवंटन 37 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु इतने विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए देरी को कन्डोन (condon) किए जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होते कि आवंटन fraud, misrepresentation of facts or concealment of facts के आधार पर प्राप्त किया गया है तथा आवंटन की शर्तों की किस प्रकार से पालना नहीं की गई है, इसके संबंध में भी प्रार्थी पक्ष द्वारा कोई मान्य प्रमाण व आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

उपखण्ड अधिकारी की आवंटन पत्रावली में उक्त खसरा नम्बर 44 में 47 बीघा 2 बिस्वा भूमि के स्थान पर अन्य भूमि आवंटित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र कानाराम की तरफ से लिखा गया है जिस पर दिनांक 28.05.81 अंकित है तथा प्रार्थी कानाराम के हस्ताक्षर के स्थान पर गणेश पुत्र कानु का अंगूठा लगा हुआ है उक्त स्थिति ही संदेहास्पद बन जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने के 5 वर्ष बाद दिनांक 20.11.1984 को अन्य आदेश जारी किया गया। प्रार्थी पक्ष यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उपखण्ड अधिकारी को पूर्व में दिनांक 29.10.1977 को किए गए आवंटन को 7 वर्ष बाद निरस्त करने का अधिकार किन नियमों के किन प्रावधानों के तहत प्राप्त था तथा ऐसे आदेश की वैधता किस प्रकार प्रमाणित है, इसे प्रमाणित करने का कोई मान्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थी पक्ष ही राजस्व तथा भू अभिलेख संबंधी रिकार्ड से संबंधित भूमि धारक अधिकार,(land holder and land record related officer) होने के बावजूद भी आज तक 1977 में किए गए आवंटन को ही यथावत रखते हुए तथा विरासत के नामान्तकरण खोलते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी की प्रविष्टियाँ करता रहा है तो उक्त आवंटन को बिना किसी मान्य आधार के निरस्त करने की प्रार्थना पत्र नियमानुसार किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, यह प्रमाणित करने में असफल रहा है इसके संबंध में कोई मान्य प्रमाण एवं आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार प्रार्थी पक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत अपने प्रार्थना पत्र को नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उनका प्रार्थना पत्र बलहीन होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी पक्ष का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। परन्तु प्रार्थी पक्ष प्रकरण में इसके अतिरिक्त अन्य तथ्यों एवं संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 11.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मातादीन सर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर